प्रेषक,

नरेन्द्र भूषण
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3- समस्त उद्योग संघ, उ0प्र0।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 28 मार्च, 2023**

विषयः- पूर्व प्रख्यापित उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के निवेश लक्ष्यों को 03 वर्ष के अन्दर ही प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात नई उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 दिनांक 20 अगस्त 2020 को अधिसूचित की गई थी। आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-01 की अधिसूचना संख्याः-1830/78-1-2022-05आई0टी0/2020, दिनांक 18 नवम्बर, 2022 द्वारा ''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020'' को संशोधित कर दिया गया है। यह नीति अब ''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020'' (प्रथम संशोधन)'' के नाम से जानी जायेगी, जो मूल अधिसूचना संख्या-1198/78-1-2020-05आई0टी0/2020, दिनांक 20 अगस्त, 2020 से 05 वर्ष अथवा उ0प्र0 सरकार द्वारा कोई नई नीति/संशोधन किये जाने तक, जो भी पहले हो वैध होगी।

2- उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में ''उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन)'' के विभिन्न प्रस्तरों में वर्तमान प्राविधान को निम्नवत् तालिका के अनुसार संशोधित किये जाने के साथ-साथ उक्त नीति के अन्तर्गत प्रस्तर-3 के अनुसार अतिरिक्त प्राविधान भी सम्मिलित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

नीति का प्रस्तर	**स्तम्भ-1** **विद्यमान व्यवस्था**	**स्तम्भ-2** **एतद्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था**
4.1 नीति की अवधि एवं आच्छादन **(Policy period & coverage)**	उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 उसकी अधिसूचना तिथि से 5 (पांच) वर्षों के लिए वैध है।	उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 उसकी अधिसूचना तिथि से 5 (पांच) वर्षों के लिए वैध है। निवेश की अनुमति नीति की अधिसूचना की तिथि से दी जायेगी। इकाई को व्यवसायिक रूप से परिचालनरत करने के लिए दिया जाने वाला समय निम्नानुसार होगाः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		¼i½ रु 200 करोड़ तक निवेशः लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 5 वर्ष ¼ii½ रु 200 करोड़ से अधिक तथा रु 1000 करोड़ से कम निवेशः लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 6 वर्ष ¼iii½ रु 1000 करोड़ से अधिक अथवा समतुल्य निवेशः लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 7 वर्ष
	नीति अधिसूचना के उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रस्तावों तथा किये जाने वाले निवेश हेतु प्रभावी है। नीति की अवधि के विस्तार के बारे में नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।	**<u>नीति प्रयोज्यताः</u>** ¼i½ ऐसे निवेशक जिन्होंने उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत आवेदन किया और उन्हें विधिवत् लेटर ऑफ कम्फर्ट प्राप्त हुआ किन्तु 31 मार्च 2022 तक परियोजना का व्यवसायीकरण नहीं कर सके, उन्हें वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ करने के लिए 31 मार्च 2022 से अतिरिक्त 12 माह का विस्तार प्रदान किया जायेगा। ¼ii½ ऐसे निवेशक जिन्होंने उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया किन्तु स्टाम्प ड्यूटी छूट, भूमि दर में छूट, विद्युत शुल्क आदि कोई एक अथवा अधिक प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के साथ ही 31 मार्च 2022 तक परियोजना का व्यवसायीकरण कर लिया है, उन्हें उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त कर लिये गये प्रोत्साहनों के लिए ही स्वीकार्य माना जायेगा तथा वे अन्य किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

		¼iii½ जिन निवेशकों ने स्टाम्प ड्यूटी छूट, भूमि दर में छूट, विद्युत शुल्क आदि कोई एक अथवा अधिक प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त किया है, किन्तु ना तो उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत आवेदन किया और ना ही 31 मार्च 2022 तक परियोजना का व्यवसायीकरण कर सके, उन्हें उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त कर लिये गये प्रोत्साहनों के लिए ही स्वीकार्य माना जायेगा तथा वे अन्य किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे। ऐसे निवेशकों को वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ करने के लिए 31 मार्च 2022 के बाद 12 माह का अतिरिक्त विस्तार प्रदान किया जायेगा। यदि निवेशक ने नीति के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया है अथवा 31 मार्च 2023 तक वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ कर पाने में असमर्थ है तो उसके द्वारा प्राप्त किये गये सभी लाभ की वसूली शासन/ प्राधिकरण के नियमानुसार की जायेगी। ¼iv½ नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन नई इकाइयों के लिए लागू हैं। तथापि क्षमता विस्तार/ विविधीकरण/ प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए आवेदन करने वाली इकाइयां केवल पूंजी उपादान के लिए इस प्रतिबन्ध सहित पात्र होंगी कि क्षमता विस्तार/विविधीकरण/ प्रौद्योगिकी उन्नयन के फलस्वरूप सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25प्रतिशत की वृद्धि हो।

http://shasanadesh.up.gov.in

		(क) पिछली किसी भी नीति के अन्तर्गत पहले से ही विद्युत शुल्क का लाभ प्राप्त करने वाले निवेशक, बढ़े हुए भार पर भी स्वीकृत कार्यकाल तक शेष विद्युत शुल्क लाभ के लिए पात्र होंगे। (ख) विस्तार/ विविधीकरण/ प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु आवेदन करने वाली नई इकाइयों के लिए कोई विद्युत शुल्क छूट उपलब्ध नहीं होगी। नीति अवधि के विस्तार पर निर्णय नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति द्वारा लिया जायेगा।
	इस नीति की अधिसूचना से पूर्व प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव तथा एक्नॉलेज्ड प्रस्ताव उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अन्तर्गत शासित होते रहेंगे।	उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अन्तर्गत प्राप्त निवेश प्रस्ताव जिन्हें इस संशोधन की अधिसूचना से पूर्व लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत नहीं किये गये हैं, वे संशोधित उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अन्तर्गत प्रदत्त लाभों के लिए पात्र होंगे।
4.3.1 इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC)	इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, कतिपय न्यूनतम सीमा के साथ वरीयतानुसार एक दूसरे से मिला हुआ एक भौगोलिक क्षेत्र है, जहाँ ई.एस.डी.एम. इकाइयों के लिए बुनियादी ढाँचे, एमेनिटीज तथा अन्य सामान्य सुविधाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। यह नीति मोबाइल, उपभोक्ता वस्तुओं, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर,	इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, कतिपय न्यूनतम सीमा के साथ वरीयतानुसार एक दूसरे से मिला हुआ एक भौगोलिक क्षेत्र है, जहाँ ई.एस.डी.एम. इकाइयों के लिए बुनियादी ढाँचे, एमेनिटीज तथा अन्य सामान्य सुविधाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। यह नीति मोबाइल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी

http://shasanadesh.up.gov.in

	चिकित्सा एवं रक्षा उपकरणों के निर्माण हेतु प्रदेश के विभिन्न भागों में तीन (3) इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना को परिलक्षित करती है:- (i) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) में जेवर हवाई अड्डे के समीप, जनपद गौतमबुद्ध नगर में इलेक्ट्रानिक सिटी की स्थापना। (ii) बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (iii) लखनऊ-उन्नाव-कानपुर जोन मे मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर	हार्डवेयर, ड्रोन, सेमीकण्डक्टर (फैब), चिकित्सा इलेक्ट्रानिक्स, रक्षा इलेक्ट्रानिक्स, रोबोटिक्स, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादि के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों में तीन (3) इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना को परिलक्षित करती है।
4.3.3 उत्कृष्टता के केन्द्र (CoE)	नीति का प्रयास ई.एस.डी.एम. उद्योग में अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के केन्द्रों (CoE) के रूप में विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित किया जाना है। नीति के अन्तर्गत भारत सरकार तथा उद्योग संघों के सहयोग से राज्य में 3 उत्कृष्टता के केन्द्रों (सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स) की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत का वहन उत्तर प्रदेश सरकार तथा शेष 75 प्रतिशत का योगदान भारत सरकार तथा उद्योग संघों द्वारा मिलकर किया जायेगा।	नीति का प्रयास ई.एस.डी.एम. क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के केन्द्रों (CoE) के रूप में विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित किया जाना है। नीति के अन्तर्गत प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों और/अथवा उद्योग संघों/उद्योग अथवा किसी अन्य शासकीय/निजी संस्थान के सहयोग से राज्य में उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है। उत्कृष्टता के केन्द्र की कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक (रु 10 लाख की सीमा सहित) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। उत्कृष्टता के केन्द्र की स्थापना को स्वीकृति प्रदान करने हेतु सशक्त समिति सक्षम होगी।
5. प्रोत्साहन	(iii) पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और	(iii) पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	उपकरणों की अनुमति स्थिर पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत तक होगी। इस प्रोत्साहन हेतु केवल उन इकाइयों को अनुमति होगी, जिनका मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया गया हो और यह विकल्प इस नीति की अधिसूचना की तिथि से प्रथम 3 वर्षों के लिए प्रथम 20 निवेशकों के लिए ही उपलब्ध होगा।	उपकरणों की अनुमति स्थिर पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत तक होगी। इस प्रोत्साहन हेतु केवल उन इकाइयों को अनुमति होगी, जिनका मूल्यांकन पुनर्निर्मित संयंत्र और मशीनरी सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया हो और यह विकल्प इस नीति की अधिसूचना की तिथि से प्रथम 20 निवेशकों के लिए ही उपलब्ध होगा।
5.1 पूंजी उपादान	पूंजी उपादान केवल ई.एस.डी.एम. इकाइयों को वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा मूल्याँकित स्थिर पूंजी निवेश अथवा आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा गठित समिति या वित्तीय कन्सल्टेण्ट्स द्वारा मूल्याँकित स्थिर पूंजी निवेश पर प्रदान किया जाएगा। निवेशक निम्नानुसार प्रोत्साहनों के पात्र होंगेः-	पूंजी उपादान पात्र इकाइयों को प्रदान किया जायेगा तथा वित्तीय संस्थानों/बैंकों/वित्तीय परामर्शदाताओं द्वारा अथवा राज्य सरकार के माध्यम से गठित समिति द्वारा मूल्याँकित स्थिर पूंजी निवेश पर अनुमन्य होगा। निवेशक निम्नानुसार प्रोत्साहनों के पात्र होंगेः-
	¼i½ **रू0 200 करोड़ तक के निवेश:** स्थिर पूंजी निवेश पर, रू 10 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित, 15 प्रतिशत पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा।	¼i½ **रू0 200 करोड़ तक के निवेश:** निवेशक को स्थिर पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा।
	¼ii½ **रू0 200 करोड़ से रु 1000 करोड़ के मध्य निवेशः** पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत रु 150 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा जोकि 03 वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जाएगा जिसमें प्रथम किश्त संबंधित इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ करने के उपरान्त अनुमन्य होगी।	¼ii½ **रू0 200 करोड़ से अधिक तथा रु 1000 करोड़ से कम निवेशः** निवेशक को स्थिर पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत पूंजी उपादान 03 वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जाएगा जोकि व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ करने के उपरान्त देय होगा।
	¼iii½ **रु0 1000 करोड़ से अधिक**	¼iii½ **रु0 1000 करोड़ से अधिक**

http://shasanadesh.up.gov.in

	निवेश: रु 1000 करोड़ से अधिक निवेश तथा न्यूनतम 3000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन वाली इकाइयों को रु 1000 करोड़ से अधिक निवेश की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पूंजी उपादान अधिकतम रु0 100 करोड़ (कुल रु 250 करोड़) 05 वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जायेगा जोकि उस वर्ष से देय होगा जिसमें इकाई ने कम से कम अपनी 80 प्रतिशत क्षमता अर्जित कर ली हो। अभ्युक्तिः प्लग एण्ड प्ले/किराए के भवनों से संचालित होने वाली इकाइयों के लिए पूंजी उपादान 5 वार्षिक किश्तों में दिया जाएगा, जो वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के बाद देय होगा।	**अथवा समतुल्य निवेशः** रु 1000 करोड़ से अधिक स्थिर पूंजी निवेश तथा न्यूनतम 3000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन पर 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पूंजी उपादान अधिकतम रु0 100 करोड़ (कुल रु 250 करोड़) प्रदान किया जायेगा। यह अतिरिक्त उपादान 05 वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जायेगा जिसमें से प्रथम किश्त उस वर्ष अवमुक्त की जायेगी जिसमें इकाई ने अपनी कुल क्षमता का न्यूनतम 80प्रतिशत उत्पादन अर्जित कर ली हो। अभ्युक्तिःप्लग एण्ड प्ले/किराए के भवनों से संचालित होने वाली इकाइयों के लिए पूंजी उपादान 5 वार्षिक किश्तों में दिया जाएगा, जो वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के बाद देय होगा।
5.2 ब्याज उपादान	रु 200 करोड़ तक निवेश वाली इकाइयों हेतु अधिसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर (ब्याज की दर पर) 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष हेतु प्रतिवर्ष रु 1 करोड़ की सीमा तक (अधिकतम रु 5 करोड़ प्रति इकाई) की जायेगी।	रु 200 करोड़ तक निवेश वाली इकाइयों हेतु अधिसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर (ब्याज की दर पर) 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष हेतु प्रतिवर्ष रु 1 करोड़ की सीमा तक (अधिकतम रु 7 करोड़ प्रति इकाई) की जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

5.3 स्टाम्प ड्यूटी से छूट	¼i½ एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि का क्रय करने/पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में शत प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।	¼i½ एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि का क्रय करने/पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।
	¼ii½ ई.एम.सी./ई.एस.डी.एम पार्क्स की स्थापना हेतु भूमि का क्रय करने/पट्टे पर लेने पर प्रथम ट्रॉंजेक्शन (भूमि के स्वामी से विकासकर्ता/एस.पी.वी.) हेतु स्टाम्प शुल्क में शत प्रतिशत छूट तथा द्वितीय ट्रॉंजेक्शन (विकासकर्ता/एस.पी.वी. से ई.एस.डी.एम. इकाइयों) पर स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।	¼ii½ ई.एम.सी./ ई.एस.डी.एम पार्क्स हेतु भूमि का क्रय करने/पट्टे पर लेने पर प्रथम ट्रॉंजेक्शन (स्वामी से विकासकर्ता/एस.पी.वी.) हेतु स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट तथा द्वितीय ट्रॉंजेक्शन (विकासकर्ता/एस.पी.वी. से ई.एस.डी.एम. इकाइयों) पर स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।
	¼iii½ स्टाम्प शुल्क में छूट बैंक गारण्टी के सापेक्ष प्रदान की जायेगी, जिसे वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर अवमुक्त कर दिया जायेगा।	¼iii½ स्टाम्प शुल्क में छूट बैंक गारण्टी के सापेक्ष प्रदान की जायेगी, जिसे वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर अवमुक्त कर दिया जायेगा। (iv) न्यूनतम 10 वर्षों के लिए भूमि/औद्योगिक शेड/औद्योगिक भवन पट्टे/किराये पर लेने पर 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी। (v) स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने पर की जायेगी।
5.6 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट	समस्त ई.एस.डी.एम. इकाइयों को अधिकतम 10 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।	निवेशकों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट की अनुमन्यता निम्नानुसार 10 वर्षों के लिए होगीः- ¼i½ पश्चिमांचल में परिचालनरत इकाईयों हेतु 50 प्रतिशत ¼ii½ मध्यॉंचल में परिचालनरत इकाईयों हेतु 75 प्रतिशत ¼iii½ पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड में

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		परिचालनरत इकाईयों हेतु 100 प्रतिशत संशोधित दरें इस संशोधन के उपरान्त नीति के अन्तर्गत स्वीकृत नए निवेश प्रस्तावों पर लागू होंगे। पूर्व स्वीकृत निवेश प्रस्तावों पर पूर्व में अनुमन्य 50 प्रतिशत की दर ही लागू होगी।
5.10 फैब इकाइया	फैब इकाइयों हेतु सशक्त समिति एवं मा. मँत्रि परिषद के अनुमोदन से विशेष पैकेज जिसमें भूमि, बिजली, पानी, अवस्थापना, अंशपूंजी सहभागिता, वित्तीय प्रोत्साहन एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन इत्यादि सम्मिलित है, की अनुमन्यता होगी।	**5.10 सेमीकण्डक्टर इकाइयों के लिए फायदे** सेमीकण्डक्टर इकाइयों की स्थापना हेतु निवेश आकर्षित करने तथा राज्य की नीति में इलेक्ट्रानिक्स इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रस्तुत करके निवेशकों को प्रोत्साहित किया जायेगाः- **1. पूंजी उपादानः** भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूंजी उपादान पर 50प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी उपादान **2. भूमि की दर में छूटः** ¼i½ राज्य अभिकरणों से भूमि क्रय करने पर प्रथम 200 एकड़ भूमि पर प्रचलित सेक्टर दरों पर 75 प्रतिशत उपादान ¼ii½ इकाई के लिए अथवा पूरक इकाइयों के लिए अतिरिक्त भूमि पर 30 प्रतिशत उपादान की अनुमति होगी। **3. स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन शुल्कः** भूमि के क्रय/ पट्टे पर 100 प्रतिशत छूट। **4. विद्युत उपादान**: इकाइयां औद्योगिक दरों के अनुसार विद्युत दरों के लिए पात्र होंगी। **5. विद्युत शुल्कः 20 वर्षों** की अवधि के लिए विद्युत शुल्क पर

http://shasanadesh.up.gov.in

		100 प्रतिशत छूट। 6. **दोहरा पावर ग्रिडः** राज्य में स्थापित फैब इकाइयों को दोहरा पावर ग्रिड नेटवर्क प्रदान किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु, एक ग्रिड की लागत (दोनो ग्रिड में जो कम हो) की प्रतिपूर्ति आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा तथा अन्य ग्रिड की लागत सम्बन्धित इकाई द्वारा वहन की जायेगी। 7. **जल की उपलब्धताः** सभी परियोजनाकों को अच्छी गुणवत्ता का (पेय) जल उपलब्ध कराया जायेगा। 8. **इफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापनाः** अधिकतम रु 1 करोड़ की सीमा सहित, ई.टी.पी. की लागत के 50 प्रतिशत तक का एकमुश्त पूंजी उपादान 9. **अवस्थापना/ सामान्य सुविधा केन्द्र के विकास हेतु सहायताः** राज्य सरकार द्वारा संशोधित इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी.-2.0) योजना के लाभ के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तथा ई.एम.सी.-2.0 फ्रेमवर्क आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले निवेशक को भारत सरकार की ई.एम.सी.-2.0 योजना के अनुसार अवस्थापना लागत का 50 प्रतिशत तथा सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए 25 प्रतिशत सहायता प्रदान की जायेगी। सशक्त समिति की अनुशंसा पर राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन भूमि, विद्युत, जल, अवस्थापना, पूंजी साझाकारण, वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहनों इत्यादि

http://shasanadesh.up.gov.in

		सहित, फैब इकाइयों के लिए केस-टू-केस आधार पर पुनः छूट पर विचार किया जा सकता है। सेमीकण्डक्टर इकाइयों के लिए प्रोत्साहन सिलिकॉन सेमीकण्डक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्रीकेशन इकाई (फैब), कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेन्सर्स (एम.ई.एम.एस. सहित) फैब, डिस्क्रीट सेमीकण्डक्टर फैब, सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए.टी.एम.पी.)/ आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली और टेस्टिंग (ओ.एस.ए.टी.) सुविधा के लिए अनुमन्य होंगे।
7 शब्दावली	**7.1 फैब इकाई** फैब इकाई वह सेमीकण्डक्टर संरचना सँयंत्र है, जहाँ इण्टीग्रेटेड सर्किट्स (ICs) चिप जैसी सामग्री निर्मित होती है।	**7.1 सेमीकण्डक्टर इकाइयाँ** सिलिकॉन सेमीकण्डक्टर फैब, डिस्प्ले फैब्रीकेशन इकाई (फैब), कम्पाउण्ड सेमीकण्डक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेन्सर्स (एम.ई.एम.एस. सहित) फैब, डिस्क्रीट सेमीकण्डक्टर फैब, सेमीकण्डक्टर असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ए.टी.एम.पी.)/ आउटसोर्स्ड सेमीकण्डक्टर असेम्बली और टेस्टिंग (ओ.एस.ए.टी.) सुविधा
अनुलग्नक-1	**नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों हेतु अर्ह उत्पादों की सूची**	भारत सरकार के ई.एस.डी.एम,एम.एस.आई.पी.,एस.पी.ई.सी.एस. पी.एल.आई. योजनाओं के तहत उल्लिखित, समय-समय पर यथासंशोधित सभी उत्पादों को नीति के अन्तर्गत आच्छादित किया जायेगा। कोई भी उत्पाद जो सूची में सम्मिलित

http://shasanadesh.up.gov.in

		नहीं है और जिसे जोड़े जाने के लिए विभाग द्वारा भविष्य में संस्तुति की जाती है, सशक्त समिति के अनुमोदन से जोड़ा जायेगा।

3- ''उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन)'' में उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त निम्नलिखित अतिरिक्त प्राविधान नीति के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं:-

अध्याय 4: नीति का कार्यान्वयन के अन्तर्गत नवीन बिन्दु	**4.3.5 अनुसंधान एवं विकास सहायता** सरकार द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) / वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों को समर्थन प्रदान किया जायेगा। • वित्तीय सहायता प्रतिपूर्ति के रूप में (पंजी और परिचालन व्यय को सम्मिलित करते हुए) परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक, 5 वर्ष की अवधि में अधिकतम रु 5.00 करोड़ तक। • पात्र प्रतिपूर्ति राशि का 50 प्रतिशत वार्षिक आधार पर प्रदान किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि उत्पाद/शोध एवं विकास गतिविधियों के सफल विकास के उपरान्त संवितरित की जायेगी।
अध्याय 5: प्रोत्साहन के अन्तर्गत प्रथम प्रस्तर के पश्चात नवीन प्रस्तर	राज्य में इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों के पुनः निर्माण, मरम्मत अथवा नवीनीकरण के लिए इकाई स्थापित करने वाले निवेशक नीति के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले सभी प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे
अध्याय 5: प्रोत्साहन के अन्तर्गत उप प्रस्तर 5.1 पूंजी उपादान के पश्चात नवीन उप प्रस्तर	**5.1 (क) एंकर इकाई हेतु अतिरिक्त पूंजी उपादान** एंकर इकाई के रूप में कार्य करने वाले तथा पूरक इकाइयों को साथ लाने की गारण्टी देने वाले निवेशक को अतिरिक्त पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा। प्रोत्साहन राशि का भुगतान सभी प्रस्तावित सहायक इकाइयों की सफल स्थापना के बाद किया जायेगा। (i) 1 से 5 इकाइयाँ - अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत (ii) 6 से 10 इकाइयाँ - अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत (iii) 10 से अधिक इकाइयाँ - अतिरिक्त 5 प्रतिशत यह अतिरिक्त पूंजी उपादान नीति के प्रस्तर 5.1 में उल्लिखित पूंजी उपादान के अतिरिक्त होगा। एंकर इकाई द्वारा अपनी कच्चे माल की आवश्यकता का न्यूनतम 40 प्रतिशत उन पूरक इकाइयों से क्रय किया जाना चाहिए जिनका प्रस्ताव इस मद के अन्तर्गत लाभ प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। साथ ही इस लाभ को प्राप्त करने वाली इकाइयां फोकस क्षेत्र के प्राविधान द्वारा अतिरिक्त पूंजी उपादान के लिए पात्र नहीं होंगी। **5.1 (ख) फोकस क्षेत्र इकाइयों हेतु अतिरिक्त पूंजी उपादानः** निम्नलिखित फोकस क्षेत्रों के तहत आवेदन करने वाले निवेशक को 5 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	• ड्रोन और उसके कम्पोनेन्ट्स • इन्टरनेट ऑफ थिंग्स • रक्षा इलेक्ट्रानिक्स • सामरिक इलेक्ट्रानिक्स • रोबोटिक्स इस लाभ को प्राप्त करने वाली इकाइयाँ एंकर इकाई के लिए प्राविधानित अतिरिक्त पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी।
अध्याय 5: प्रोत्साहन के अन्तर्गत उप प्रस्तर 5.10 पूंजी उपादान के पश्चात नवीन उप प्रस्तर	**5.11 भविष्य निधि प्रतिपूर्ति** वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के उपरान्त 1 वर्ष के निरन्तर रोजगार तथा उत्तर प्रदेश में अधिवास वाले ईएसडीएम प्रोफेशनल्स के लिए अदा की गई कुल भविष्य निधि धनराशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, प्रति कार्मिक रु 2000/- प्रतिमास तथा रु 1 करोड़ प्रति वर्ष प्रति इकाई की सीमा सहित 5 वर्ष तक इकाई को प्रदान किया जायेगा। यह प्रोत्साहन केवल महिला/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ ट्रांसजेन्डर/दिव्यांगजन कार्मिकों के लिए अनुमन्य है। **5.12 लीज रेन्टल्स** < रु 200 करोड़ निवेश हेतु लीज/किराये पर लिये गये औद्योगिक शेड्स/ औद्योगिक भवन हेतु 5 वर्षों की अवधि के लिए लीज रेन्टल चार्ज पर 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, प्रति इकाई अधिकतम रु 25 लाख प्रति वर्ष। **5.13 लॉजिस्टिक्स उपादान** अन्तर्राष्ट्रीय स्थलों से अपने मौजूदा संयत्रों को उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानान्तरित कर रही फर्म्स को विनिर्माण उपकरण के आयात पर, परिवहन लागत व्यय की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति रु 2 करोड/इकाई तक

4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-01 की अधिसूचना संख्या-1198/78-1-2020-05आई0टी0/2020, दिनांक 20 अगस्त, 2020 द्वारा निर्गत ''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020'' के मूल प्राविधान तथा शासनादेश संख्या:-1901/78-1-2020-05आई0टी0/2020, दिनांक 11 जनवरी, 2021 द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। नीति के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्गत किये जा रहे दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

नरेन्द्र भूषण

प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-9/2023/455(1)/78-1-2023 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0, लखनऊ।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
10. अपर निदेशक/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गौतमबुद्ध नगर।
11. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
12. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0/श्रीट्रान इण्डिया लि0 एवं राज्य समन्वयक, सीईजी, लखनऊ।
13. आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-02, उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अक्षय त्रिपाठी

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।